

क्रमांक 3328700/61/15  
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
तुलसी नगर, भोपाल, (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

—: आदेश—:

श्री जे.के.जैन, उपयंत्री के विरुद्ध महात्मा गांधी रोजगार गास्टी योजनांतर्गत स्वीकृत ग्रेवल सडक निर्माण देवगढ़ सीमा से रमलखेड़ी में बगैर निर्माण कार्य कराये फर्जी भुगतान कराया जाकर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई जाने के कारण कार्यालयीन समसंख्यक पत्र दिनांक 25.04.2016 के द्वारा उनके विरुद्ध आरोप पत्रादि निर्गत किये गये ।

2. श्री जैन द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्रादि का उत्तर परीक्षणोपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच संस्थित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया ।

3. उक्त परिपेक्ष्य में श्री जे.के.जैन, उपयंत्री के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच संस्थित करते हुए जांच कार्य हेतु म प्रसिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के नियम 14 (5) (क) एवं (ग) के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री/संचालक, जल मौसम विज्ञान, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, देवास को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

  
26/12/16

(एम.जी.चौबे)


प्रमुख अभियंता,

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

पृ.क. 3328700/61/15

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुखसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2- मुख्य अभियंता, घसान कैन कंधार, जल संसाधन विभाग, सागर ।
- 3- जांचकर्ता अधिकारी/ अधीक्षण यंत्री/संचालक, जल मौसम विज्ञान, भोपाल । अपचारी के विरुद्ध जारी आरोप पत्रादि की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित है कि विभागीय जांच प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, देवास ।
- 5- संबंधित श्री जे.के.जैन, उपयंत्री, द्वारा स.क. ....
- 6- निज सहायक-प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, ज0सं0 विभाग, भोपाल ।
- 7- अधीक्षक 331/332 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 8- वेब मैनेजर, परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएँ, जल संसाधन विभाग, भोपाल को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

  
26/12/16

(एम.जी.चौबे)

प्रमुख अभियंता